भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1823**

जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

**कृषि ऋणदाताओं के लिए ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डालना और ऋण स्थगन**

1823. श्रीमती रंजीत रंजन:
श्री दिग्विजय सिंहः
श्री नीरज डांगीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से अब तक बाढ़, भूस्खलन या भारी वर्षा से प्रभावित कृषि ऋणदाताओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डालने और ऋण स्थगन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डालने और ऋण स्थगन संबंधी राहत पर व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार, बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण ऋणदाताओं के लिए इन राहत उपायों की पर्याप्तता और समयबद्धता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) से (ग):** सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित कृषि उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 17 अक्टूबर, 2018 को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर एक मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- उक्त मास्टर निर्देशों के अंतर्गत चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और शीत लहर/पाला को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मान्यता दी गई है।
- राज्य/केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्राकृतिक आपदा की घटना के समय अतिदेय ऋणों को छोड़कर सभी अल्पकालिक ऋण पुनर्संरचना के लिए पात्र होंगे।
- प्रभावित उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा नए ऋण भी मंजूर किए जा सकते हैं।
- उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सावधि कृषि ऋण की किस्तों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
- अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्संरचित हिस्से को चालू बकाया के रूप में माना जा सकता है और इसे अनर्जक आस्तियों (एनपीए)के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2020 से जून 2025 तक की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राहत उपायों, अर्थात् (i)पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित अग्रिमों और (ii) नए वित्त/पुन:उधार संबंधी राज्यवार आंकड़ा क्रमशः **अनुबंध-I और अनुबंध-II**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर) द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलाप क्षेत्र में बट्टे खाते में डाले गए वर्ष-वार ऋण निम्नानुसार हैं:-

**(राशि, करोड़ रुपये में)**

| **वित्तीय वर्ष** | **धनराशि** |
|---|---|
| **2020-21** | 14,483 |
| **2021-22** | 15,222 |
| **2022-23** | 23,852 |
| **2023-24** | 24,426 |
| **2024-25** | 21,882 |
| **2025-26*** | 14,122 |

स्रोत: आरबीआई

*: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार अनंतिम डेटा

सरकार विभिन्न हितधारकों, जैसे राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), आरबीआई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों, राज्य/केंद्र सरकार के विभागों आदि के साथ समन्वय करके संभावित समय सीमा के भीतर प्रभावित उधारकर्ताओं को पर्याप्त राहत उपाय प्रदान करने का प्रयास करती है।

*****

**"कृषि ऋणदाताओं के लिए ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डालना और ऋण स्थगन''के संबंध में दिनांक 16.12.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध-**I

**प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रदान किए गए राहत उपाय (पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित राशि) के संबंध में आंकड़े**

**(खातों की संख्या के संबंध में वास्तविक आंकड़े और राशि करोड़ रुपए में)**

| क्रम सं. | राज्य का नाम | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 48 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 11,764 | 811.86 | - | - |
| 2 | असम | - | - | - | - | 2,88,370 | 851.3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - | 7,388 | 975.03 | - | - | - | - |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 1,11,597 | 622.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | झारखंड | - | - | - | - | 751 | 11.03 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | कर्नाटक | 11,393 | 436.61 | 17,433 | 1357.4 | - | - | 15,675 | 254.9 | 21,605 | 448.95 | - | - |
| 7 | केरल | - | - | - | - | 23,000 | 233.5 | - | - | 27 | 1.12 | 16 | 0.7 |
| 8 | महाराष्ट्र | 1,34,657 | 1875.02 | 23,000 | 791.22 | 4,123 | 204.96 | 1,359 | 21.88 | - | - | - | - |
| 9 | मणिपुर | - | - | - | - | - | - | 34,879 | 1,189.97 | 35,888 | 1,247.10 | 18,294 | 219.3 |
| 10 | सिक्किम | - | - | - | - | - | - | 34 | 7.99 | 35 | 16.87 | - | - |
| 11 | तमिलनाडु | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,214 | 468.14 | 8 | 191.81 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | - | - | 13 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एसएलबीसी) द्वारा आरआरबी सहित एससीबी के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।*

**: 2025 का विवरण जून 2025 तक का है।*

**"कृषि ऋणदाताओं के लिए ऋण माफी, ऋण को बट्टे खाते में डालना और ऋण स्थगन''के संबंध में दिनांक 16.12.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध-II**

**प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रदान किए गए राहत उपाय (प्रदान किए गए नए वित्त/पुन: उधार) के संबंध में आंकड़े**

**(खातों की संख्या के संबंध में वास्तविक आंकड़े और राशि करोड़ रुपए में)**

| क्रम सं. | राज्य का नाम | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,834 | 65.66 | - | - |
| 2 | असम | - | - | - | - | 3,011 | 26.6 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - | 317 | 3.59 | - | - | - | - |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 85,060 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | झारखंड | - | - | - | - | 20,312 | 227.90 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | कर्नाटक | 1,55,493 | 4174.7 | 66,588 | 5,675.91 | - | - | 1 | 0.12 | 7,126 | 344.43 | - | - |
| 7 | केरल | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0.14 | 94 | 0.81 |
| 8 | महाराष्ट्र | 10,15,619 | 8,537.46 | 4,310 | 232.99 | 1,861 | 57.92 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | मणिपुर | - | - | - | - | - | - | 866 | 20.9 | 865 | 20.94 | 962 | 25.02 |
| 10 | राजस्थान | - | - | 119.5 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | सिक्किम | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.49 | 1 | 0.1 | - | - |
| 12 | तमिलनाडु | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,939 | 402.46 | 11 | 31.08 |
| 13 | त्रिपुरा | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,490 | 1,529.12 | - | - |

*स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एसएलबीसी) द्वारा आरआरबी सहित एससीबी के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।*

**: 2025 का विवरण जून 2025 तक का है।*